भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2192
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

सक्रिय मुकदमेबाजी का प्रबंधन

2192 # श्री नरेश बंसल :
श्री राजिन्दर गुप्ता :
श्री केसरीदेवसिंह झाला :
श्री राजेश परमानंद शुक्ल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) अधिवक्ता बिलों के प्रसंस्करण सहित मुकदमेबाजी से संबंधित प्रक्रियाओं के नियोजित स्वचालन की वर्तमान स्थिति क्या है ;
(ख) उन विशिष्ट विभागों के नाम क्या हैं जहाँ सक्रिय मुकदमेबाजी प्रबंधन के लिए एआई और डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल तैनात किए गए हैं ;
(ग) इस तंत्र के माध्यम से पहचाने गए और वापस लिए गए दोहराव वाले या परिहार्य मामलों की संख्या क्या है ; और
(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकारी मुकदमेबाजी लागत में कितनी कमी आई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : वर्तमान में, मुकदमेबाजी से संबंधित प्रक्रियाओं, जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं के बिलों का प्रसंस्करण भी है, में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, सरकारी मुकदमेबाजी को सम्भालने की दक्षता में वृद्धि करने के लिए स्वचालित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणालियों को विकसित करने और लागू करने के कदम उठाए जा रहे हैं।
